



मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

26, किसान भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल 462011
फोन नं. 0755-2554539 ईमेल आई.डी. mpsbb@mp.gov.in

M. P. State Biodiversity Board

26, Kisan Bhawa, Arera Hill, Bhopal 462011
Ph. No. 0755-2554539 Email ID mpsbb@mp.gov.in

सूचना

मध्यप्रदेश के जैव संसाधनों को व्यापारत्मक (वाणिज्यिक) उद्देश्य से एकत्रित करने वाले व्यापारियों व निर्माताओं को सूचना

जैवविविधता अधिनियम, 2002 एवं विनियम, 2014 तथा नियम, 2004 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश के जैव संसाधनों का व्यापारिक (वाणिज्यिक) उपयोग करने वाले समस्त विदेशी व्यापारी व निर्माताओं का अधिनियम की धारा 3-6 तथा भारतीय व्यापारी व निर्माताओं को धारा 7 के अंतर्गत क्रमशः राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण (एन.बी.ए.) तथा मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड (एम.पी.एस.बी.बी.) से अनुमति लेना अनिवार्य है।

अधिनियम एवं नियम का उल्लंघन सज्जेय (गंभीर) अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें 5 साल की सजा या/एवं रुपये 10 लाख (धारा 3-7 का उल्लंघन) तथा 3 साल की सजा या/एवं रुपये 5 लाख (धारा 7 का उल्लंघन) तक जुर्माना का प्रावधान है। यदि किसी भी व्यापारी व निर्माता द्वारा बोर्ड के आदेशों का पालन नहीं करने की दशा में रुपये 2 लाख तक प्रतिदिन जुर्माना का प्रावधान है। अधिनियम, नियम तथा विनियम के संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु बोर्ड की वेबसाइट www.mpsbb.nic.in तथा राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण की वेबसाइट www.nbaindia.org पर उपलब्ध है।

अतः एतद् द्वारा सर्वजन को सूचित किया जाता है कि मध्यप्रदेश के जैव संसाधनों का व्यापार करने हेतु अनिवार्य रूप से एन.बी.ए. अथवा एम.पी.एस.बी.बी. से आवश्यक अनुमति प्राप्त करें।

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

सदस्य सचिव

Notice

It is hereby brought to every one's knowledge (especially bio-resource based traders and manufactures) that the trade & manufacturing any bio-resource from the State of Madhya Pradesh is covered under Section 3-6 for Foreign Companies/ Traders and Section 7 for Indian Companies/Trader of Biological Diversity Act, 2002, M. P. Biological Diversity Rules, 2004 and Regulation 2014. Violation of the said provision may attract an imprisonment upto 5 years and fine upto Rs. 10 lakhs or both (for violation of Sec. 3-6) and 3 year imprisonment and Rs. 3 lakhs fine or both (for violation of Sec 7).

Hence all the Traders & Manufacturers whose bio-resources originates from the State of Madhya Pradesh shall get the required approval either from NBA or MPSBB as required. For details visit our official website - www.mpsbb.nic.in and www.nbaindia.org.

Issued in the public interest by MPSBB

Member Secretary